UPHR010004502015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, हरदोई।

पीठासीन अधिकारी–कुसुम लता (एच०जे०एस०)

(जे०ओ० कोड– यू०पी० 6303)

सत्र परीक्षण संख्या–76/2015

राज्य ....अभियोजक

बनाम

1. **बबलू पुत्र कल्लू रैदास निवासी ग्राम पडरा लखनपुर, थाना माधौगंज जनपद हरदोई।**
2. **सुनील कुमार पुत्र दुर्जन रैदास निवासी ग्राम नगवां, थाना बेनीगंज, जनपद हरदोई।**

...अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या–1004/2014

धारा–302/34, 394, 411, 201 भा०दं०सं०

थाना–बेनीगंज, जनपद–हरदोई।

–: निर्णय :–

1. अभियुक्तगण बबलू व सुनील कुमार का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 394, 411, 201 के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–1004/2014, थाना बेनीगंज, जिला हरदोई में विवेचक द्वारा प्रेषित किये गये आरोप पत्र (प्रदर्श क–6) के आधार पर किया गया।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा मोहन गुप्ता द्वारा दिनांक 29.11.2014 को प्रार्थना पत्र/लिखित तहरीर (प्रदर्श क–1) इस आशय का थाना बेनीगंज, जिला हरदोई में प्रस्तुत किया है कि दिनांक 28.11.2014 को प्रार्थी के पिता श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता पुत्र गुरुदयाल निवासी कोथावां, शाम को लगभग 06.00 बजे अपनी मोटरसाइकिल हाण्डा की ड्रीम न्यू लाल कलर की बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर वाली से ग्राम मंगलापुर में श्री श्याम बिहारी, रैदास के घर गये थे। रात में 10–11 बजे तक वापस घर न लौटाने पर उनकी तलास की गयी तो कोथावाँ व ग्राम मगलापुर के रास्ते पर भरती नाला के पास उनकी चप्पल पड़ी मिली व किसी से जोर जबरदस्ती होने के जमीन पर निशान मिले। वहाँ पर चप्पल के साथ खून व एक डण्डा व विक्स की डिब्बी भी मिली है। ग्राम मगलापुर में श्याम बिहारी से जानकारी की गयी तो श्याम बिहारी ने बताया कि वे उसके घर से करीब 10 बजे चले गये थे।

Digitally signed by KUSUM LATA RATHORE
Date: 2026.04.15 10:49:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसके बाद हम अपने पिता की तलास करते रहे, लेकिन न तो हमारे पिता जी कुछ पता चला है, न ही उनकी मोटरसाइकिल मिली है, हमें सन्देह है कि श्याम बिहारी व उसके लड़के विजय व वहीं के साधू नाम के व्यक्ति ने मिल कर हमारे पिता जी को कहीं गायब कर दिया है। मेरी रिपोर्ट दर्ज कर पिता को तलाश कराने व मुल्जिमों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

3. वादी मुकदमा मोहन गुप्ता द्वारा लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर अभियुक्तगण श्याम बिहारी, विजय व साधृ के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 1004/2014, अन्तर्गत धारा–364 भा०दं०सं० में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी एफ०आई०आर० प्रदर्श क–2 है, जिसका खुलासा जी०डी० में किया गया, जो शामिल पत्रावली प्रदर्श क–3 के रूप में है।

4. दौरान विवेचना दिनांक 01.12.2014 को मृतक का शव मिला तो मामले में धारा–302 भा०दं०सं० की वृद्धि की गयी। विवेचकों द्वारा मामले के तथ्यों से संबंधित गवाहों का साक्ष्य लिया गया। वादी मुकदमा मोहन गुप्ता की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी प्रदर्श क–4 व 5 तैयार किया गया। अभियुक्तगण बबलू व सुनील के पास से मृतक की मोटरसइकिल व मोबाइल बरामद हुआ तथा उनकी निशानदेही पर वसुली बरामद हुई। दिनांक 29.11.2014 को घटनास्थल से मृतक की चप्पल विक्स की डिब्बी व लकड़ी की बेंटी मिली। संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण बबलू व सुनील कुमार के विरूद्ध धारा– 302, 394, 411, 201 भा०दं०सं० के अपराध में आरोप पत्र प्रदर्श क–6 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई के द्वारा आरोप पत्र प्रदर्श क–6 पर दिनांक 31.01.2015 को प्रसंज्ञान लेकर तथा अभियुक्तगण बबलू व सुनील कुमार की उपस्थिति सुनिश्चित करके पुलिस प्रपत्रों की प्रतियां तैयार करायी गयी, जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के उपबन्धों के अनुपालन में अभियुक्तगण को प्राप्त कराया गया। चूँकि मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, जिस कारण मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय में दिनांक 31.01.2015 को उपार्पित किया गया।

6. तत्पश्चात अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर अभियुक्तगण बबलू व सुनील कुमार के विरूद्ध दिनांक–15.09.2016 को धारा–302/34, 394, 411, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया।

7. अभियोजन साक्ष्य के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 08 मौखिक साक्षियों का परीक्षण कराया गया जिनका विवरण निम्नांकित है :–

क्र०सं०	अभियोजन साक्षी संख्या	अभियोजन साक्षी का नाम
1	पी०डब्लू०–1	वादी मुकदमा मोहन गुप्ता
2	पी०डब्लू०–2	आदित्य कुमार
3	पी०डब्लू०–3	मनोज कुमार गुप्ता
4	पी०डब्लू०–4	जितेन्द्र सिंह
5	पी०डब्लू०–5	डॉक्टर मसूद आलम
6	पी०डब्लू०–6	अरुण कुमार मिश्रा
7	पी०डब्लू०–7	हरजीत सिंह चीमा
8	पी०डब्लू०–8	योगेन्द्र कुमार सिंह

8. अभियोजन की ओर से **प्रलेखीय साक्ष्य** के रूप में निम्नांकित दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया गयाः–

क्रम सं०	प्रदर्श	प्रपत्र
1	प्रदर्श क–1	तहरीर
2	प्रदर्श क–2	कायमी जी०डी नं० 19
3	प्रदर्श क–3	प्रपत्र सं० 5 अ/2 जी०डी०सं० 19
4	प्रदर्श क–3/1	शव विच्छेदन आख्या
5	प्रदर्श क–4	नक्शानजरी गिरफ्तारी
6	प्रदर्श क–5	नक्शानजरी बरामदगीस्थल हथौड़ी
7	प्रदर्श क–6	बबलू व सुनील कुमार के विरुद्ध आरोपपत्र
8	प्रदर्श क–7	एक लकड़ी की बेंटी की फर्द कागज सं० 9 अ/5 व 9 अ/6
9	प्रदर्श क–8	कागज सं० 9 अ/1 फर्द चप्पल
10	प्रदर्श क–9	कागज सं० 9 अ/2 लकड़ी की बेटी

11	प्रदर्श क–10	कागज सं० 9 अ/3 फर्द डिबिया विक्श
12	प्रदर्श क–11	कागज सं० 9 अ/4 सादी मिट्टी व खूनालूदा फर्द
13	प्रदर्श क–12	कागज सं० 8 अ/1 नक्शानजरी
14	प्रदर्श क–13	कागज सं० 12 अ/1 लगायत 12 अ/2 पंचायतनामा
15	प्रदर्श क–14	चालाननाश
16	प्रदर्श क–15	फोटोलाश
17	प्रदर्श क–16	रिपोर्ट सी०एम०ओ०
18	वस्तु प्रदर्श–1 ता 7	पी०डब्लू० 6 अरुण कुमार मिश्रा ने साबित किया। लकड़ी की बेंटी व उसका फल, कपड़े मृतक, खूनालूदा मिट्टी, चप्पल, सादी मिट्टी का डिब्बा को वस्तु प्रदर्श 1 ता 4 एवं पर्स को वस्तु प्रदर्श–5, 100 रूपये के नोट को वस्तु प्रदर्श–6 तथा नोकिया मोबाइल को वस्तु प्रदर्श–7
19.	कागज सं० 55 अ/3	विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट

9. अभियोजन की ओर से **बतौर पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा मोहन गुप्ता** को परीक्षित कराया गया है, जो प्रस्तुत मामले का वादी मुकदमा है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि लगभग चार साल पहले शाम को लगभग 6 बजे मेरे पिता प्रेमचन्द्र मेरी न्यू मोटरसाइकिल हाण्डा ड्रीम जिसका रजिस्ट्रेशन नंम्बर नहीं मिल पाया था से ग्राम मंगलापुर के श्याम बिहारी रैदास के घर गये थे। रात 10–11 बजे तक जब वापस नहीं आए तब उनको तलाश किया गया तो उनका मोबाइल बंद था। मैं व मेरे परिवार के सभी लोग उनकी तलाश में लग गये। हम लोग भरती नाला के पास ग्राम मंगलापुर के रास्ते पर पहुंचे तो एक जगह पर उनके दाहिने पैर की चप्पल मिली जो मेरे पिताजी की थी तथा वहीं पर एक डण्डा छोटा बेंत के समान लगता था तथा जमीन पर रगड़ के निशान भी टार्च की रोशनी में हम लोगों के द्वारा देखा गया तथा मंगलापुर के श्यामविहारी से पूछा गया तो बताया कि मेरे घर से रात 10 बजे चले गये थे। हम लोगों ने काफी तलाश किया लेकिन न पिताजी मिले न मतोटरसाइकिल। मेरे द्वारा थाने पर श्यामबिहारी व उनके लड़के विजय व साधू के नाम शक के आधार पर गायब

करने का मुकदमा लिखाया था। मुकदमें की तहरीर मेरे द्वारा चचेरे भाई सुशील गुप्ता को बोलकर लिखायी थी और उसका हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दी थी। साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क–1 कागज संख्या 3 अ/2 की पुष्टि की तथा कहा कि घटना के दूसरे दिन मेरे पिता की लाश ग्राम तेंदवारी, ढुकुन्नी नहर के अन्दर पानी में पड़ी मिली। मैं परिवार के साथ वहां पर गया और लाश को देखा था। मेरे पिता के नाक के ऊपर व चेहरे पर चोट के निशान थे तथा गले में रगड़ के निशान भी थे। मेरे पिता जो घर से कपड़े पहन कर गये थे वही कपड़े पहने थे तथा उससे अगले दिन पुलिस वालों के द्वारा मुकदमें में अभियक्त बब्लू पुत्र कल्लू रैदास, निवासी ग्राम पडरा लखनपुर, थाना माधौगंज, जिला हरदोई व सुनील कुमार पुत्र दुर्जन रैदास निवासी ग्राम नगवा थाना बेनीगंज, जिला हरदोई को पकड़ा गया तो उनके पास से मेरी मोटरसाइकिल जो मेरे पिता घटना के समय लेकर गये थे बरामद हुयी। मैं थाने पर गया था। वहां पर अपनी मोटरसाइकिल व दोनों अभियुक्तों को देखा था। अपनी मोटरसइकिल न्यायालय के आदेश से पायी थी जो आज भी मेरे पास है तथा पिताजी का मोबाइल भी दोनों के पास से बरामद हुआ था। घटना के लगभग 20–25 दिन बाद मुझे ग्राम गंगापुर के विनोद कुमार वर्मा व आदित्य कुमार मिले और उनके द्वारा मुझे बताया गया कि जिस दिन तुम्हारे पिता गायब हुए थे उसे दिन हम लोगों के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों बब्लू व सुनील को समय लगभग 7–8 बजे रात में कोथावाँ से मंगलापुर जाने वाले नहर की पटरी पर पिताजी की नई मोटरसाइकिल के पास देख था तब मैंने उनसे कहा यह बयान तुम लोग चलकर पूरी बात दरोगाजी को बताओ। दोनों अभियुक्तों ने मेरे पिता जी को मोटरसाइकिल रूपया व मोटरसाइकिल लूट कर के उनकी हत्या कर दी। मेरे पिता गल्ले का व्यवसाय करते थे और उस दिन भी उनके पास कुछ ज्यादा रूपया था और उसको लूट करके उनकी हत्या कर दी।" इस घटना के संबंध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

10. अभियोजन की ओर से **बतौर पी०डब्लू० 2 आदित्य कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि हाजिर अदालत मुल्जिमान सुनील कुमार व बबलू को जानता पहचानता हूँ। सुनील कुमार ग्राम नगमा थाना बेनीगंज व बबलू शेखपुर गांव का रहने वाला है। दोनों मुल्जिमान मेरे गांव में राजगिरी की मजदूरी करने आते रहते थे। दिनांक 28.11.2014 को मैं व विनोद कुमार शाम को विनोद की मोटरसाइकिल से कोथावां से अपने गांव जा रहे थे। शाम करीब 7 बजे कोथांवा से मंगलापुर के मध्य पहुंचा और देखा किं पटरी के किनारे नहर की तरफ एक मोटरसझाकिल खड़ी थी व उसके पास दो आदमी खड़े थे। जब हम लोग उनके पास पहुंचे तो दोनों व्यक्ति बाइक की आड़ में बैठ गये। हम लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल रोक ली, मैंने समझा कि किसी की मोटरसाइकिल खराब हो गयी है, पास में पहुंचकर देखा तो मुल्जिम सुनील व बब्लू दोनों बैठे थे। हम लोगों ने पूछा कि क्या बाइक खराब हो गयी है तो इन लोगों ने बताया कि बाइक खराब नहीं हुयी है हम लोग शौच के लिए रुके हैं। उस समय कोई शक नहीं हुआ और हम लोग गांव चले गये। दिनांक

29.11.2014 को सुबह करीब 7 बजे मजदूरी करने मैं व विनोद लखनऊ चले गये। वहां से 26.12.2014 को वापस आये तब गांव में एक दो दिन बाद पता चला कि कोथावां के प्रेमचन्द्र गुप्ता उर्फ प्रेमू को अभियुक्त सुनील व बब्लू ने दिनांक 28.11.2014 को नहर की पटरी पर शाम को लूट लिया था और उनकी हत्या करके लाश नहर में बहा दिया है। यह भी मालूम हुआ था कि सुनील व बब्लू पकड़े जा चुके हैं। दिनांक 28.11.2014 की शाम को जब मैं व विनोद वहां से गुजरा था तो सुनील व बब्लू को मोटरसइकिल के साथ नहर की पटरी पर खड़े देखा था। यह बात मैंने प्रेमचन्द्र के घर वालों को लखनऊ से लौटने के बाद बतायी थी।" तब मैं मोहन गुप्ता के साथ थाने गया था और जो मैंने देखा था वह दरोगा जी बताया था।

11. अभियोजन की ओर से **बतौर पी०डब्लू० 3 मनोज कुमार गुप्ता** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.11.2014 मैं व नितिन गुप्ता मृतक प्रेमचन्द्र गुप्ता को तलाश कर रहे थे, जब हम लोग नहर की पटरी पर पहुंचे तो वहां पर मृतक की दाहिने पैर की चप्पल एवं लकड़ी की बेटी जिस पर खून लगा था व विक्स की डिब्बी पड़ी हुयी थी तथा पुलिस वालों ने मेरे समक्ष कब्जा पुलिस में लेकर सील मोहर कर फर्द मौके पर लिखी थी, जिसे पढ़कर हम लोगों को सुनाया था। फर्द पर मैंने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। पुलिस वालों ने उसी दिन नहर पटरी से मिट्टी सादा व खूनालूदा आला कत्ल को भी कब्जा में लेकर उसकी फर्द तैयार की थी जिसे पढ़कर सुनाया था तथा उस पर मैंने अपना बनाया था। साक्षी को पत्रावली में शामिल फर्द एक चप्पल, फर्द लकड़ी की बेंटी खूनालूदा, फर्द एक डिब्बी विक्स व फर्द मिट्टी खूनालूदा व घास फूस पर बने हस्ताक्षर दिखाये गये तो साक्षी ने देखकर फर्द पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

12. अभियोजन की ओर से **बतौर पी०डब्लू० 4 जितेन्द्र सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.11.2014 को मैं थाना बेनीगंज पर बतौर कांस्टेबिल मोहर्रिर तैनात था। उसी दिन वादी मोहन गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी कोथावां थाना बेनीगंज हरदोई मय अपने अन्य साथियों के साथ एक किता प्रार्थना पत्र जिस पर स्वयं के हस्ताक्षर बनाये लाकर दिया। प्रार्थनापत्र के आधार पर चिक सं० 156/2014 पर मु०अ०सं० 1004/2014 धारा- 364 भा०दं०सं० पंजीकृत किया गया। उपरोक्त मुकदमें की कायमी जी०डी० नं० 19 पर 13.05 बजे किया गया। शामिल पत्रावली प्रपत्र सं० 3A/1 चिक सं० 156/14 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया तथा शामिल पत्रावली प्रपत्र सं० 5A/2 जी०डी० सं० 19 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिले मैं आज न्यायालय में पुनः प्रमाणित करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया।

13. अभियोजन की ओर से **बतौर पी०डब्लू० 5 डॉक्टर मसूद आलम** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 01.12.2014 को सी०एच०सी० सण्डीला पर सर्जन के पद पर कार्यरत था। उस दिन मृतक प्रेमचन्द्र गुप्ता पुत्र

स्व० गुरूदयाल गुप्ता का शव सी०पी० सुरेन्द्र कुमार वर्मा थाना सण्डीला द्वारा शव विच्छेदन हेतु शीलबंद व 07 पुलिस प्रपत्रों के साथ लाया गया था। शव विच्छेदन मैंने 03.40 Pm पर प्रारम्भ करके 04.00 Pm पर समाप्त किया था। मरीज की दोनों आंखे व मुंह बंद थे।

<u>**मृत्यु पूर्व आई चोटें**</u>–

1. मृतक के सिर के दाहिने तरफ कान से 02 Cm ऊपर एक लैसरेटेड वुण्ड जिसका साइज 4 x 1 Cm था। यह घाव Skull Deep था।

2. Ligature mark गर्दन के चारों तरफ 35 Cm लम्बा Ligature mark मौजूद था। गर्दन की पूरी माप भी 35 Cm थी कोई गैप नहीं था।

<u>**आन्तरिक परीक्षण**</u>–

खोपड़ी के दाहिने तरफ की हड्डी टूटी हुई थी और Brain Hametona मौजूद था। गर्दन में मौजूद Hyaed bone दोनों तरफ से Fractured थी। सांस नलिका व फेफड़े में सूजन थी।

<u>**राय**</u>–

मेरी राय में मृतक की मृत्यु लगभग दो दिन पहले हो गई थी। जो मृत्यु पूर्व आई चोटे और गला कसे जाने की वजह से दम घुटना व Shock Hamrage की वजह से हुई थी। उपरोक्त शव विच्छेदन आख्या मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ शव विच्छेदन रिपोर्ट व शव मय प्रपत्रों के सी०पी० सुरेन्द्र कुमार वर्मा थाना सण्डीला के प्राप्त कराया। कागंज सं० 12A/8 शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ दरोगा जी ने मेरे लिये थे।

14. अभियोजन की ओर से **बतौर पी०डब्लू० 6 रिटायर्ड डिप्टी एस०पी० अरुण कुमार मिश्रा** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 05.12.2014 को थाना बेनीगंज में प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त था। मेरी मौजूदगी में मु०अ०सं० 1004/2014 धारा 364 भा०दं०सं० का दिनांक 29.11.2014 को पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक हरजीत सिंह चीमा द्वारा की जा रही थी। दौरान विवेचना अभियोग में हत्या होना पाया गया था जिसमें धारा 394, 302, 201, 411 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी के उपरान्त उक्त अभियोग की विवेचना दिनांक 05.12.2014 को ग्रहण की गई थी। पूर्व के पर्चों के अवलोकन के उपरान्त विवेचना को आगे बढ़ाया गया था। दिनांक 15.12.2014 को अभियुक्त बबलू व सुनील के न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड की याचना न्यायालय से की गयी थी। दिनांक 18.12.14 को पर्चा नं० 8 में पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये पर्चे सं० 1 से लगायत 5 तक का अवलोकन किया गया। दिनांक 14.12.2014 को मुकदमे से संबंधित माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला दिनांक 17.12.2014 कांस्टेबिल रमेशचन्द्र वर्मा द्वारा भेजा गया। पर्चा नं० 10 दिनांक 28.12.2014 को मूल पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक प्रेमचन्द्र गुप्ता अवलोकन कर

उसका तसकरा सी०डी० में किया व बयान विनोद कुमार शर्मा का अंकित किया गया। बयान आदिल कुमार व बयान गवाह पंचायतनामा श्रीराम गुप्ता, सतीशगुप्ता, नितिनगुप्ता का बयान अंकित किया। पर्चा नं० 11 दिनांक 02.01.2015 को किता किया गया जिसमें बयान गवाह पंचायतनामा अंकुर गुप्ता व विपिन कुमार, बयान एस०आई० योगेन्द्र कुमार सिंह का अंकित किया गया, बयान गवाह पोस्टमार्टम कराने वाले कांस्टेबिल सुरेन्द्र का अंकित किया। पर्चा सं० 12 दिनांक 09.01.2015 को किता किया गया जिसमें बयान गवाह फर्द बरामदगी अभियुक्त कांस्टेबिल राजेन्द्र यादव कांस्टेबिल धर्मपाल, कांस्टेबिल रामकृष्ण द्विवेदी, कांस्टेबिल अरुजेश कुमार, कांस्टेबिल श्री कृष्णगिरी का बयान अंकित किया गया व फर्द बरामदगी माल का तसकरा केस डायरी में किया और उसी दिन मोटरसइकिल व फोन बरामदगी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। समई साक्षी रामप्रताप व आशाराम का बयान दर्ज किया गया था। कागज सं० 8A नक्शानजरी गिरफ्तारी पर प्रदर्श क–4 डाला गया। पर्चा नं० 13 दिनांक 10.01.2015 को किता किया गया जिसमें बयान गवाह फर्द मनोज कुमार गुप्ता अंकित किया गया। पर्चा नं० 14 दिनांक 12.01.2015 को किता किया गया जिसमें निरीक्षण बरामदगी स्थल आलाकत्ल हथोड़ी(वसूली) किता किया गया। नक्शानजरी तैयार किया गया कागज सं० 8A/3 बावत नक्शा हथौड़ी बरामदगी स्थल पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दिनांक 12.01.2015 को पर्चा नं० 14 किता किया गया, जिसमें मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण बबलू पुत्र कल्लू रैदास व सुनील कुमार पुत्र दुर्जन रैदास पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र सं० 11/15 दिनांकित 12.01.15 अन्तर्गत धारा 394, 302, 201, 411 भा०दं०सं० में प्रेषित किया गया था। पूर्व में मुकदमा उपरोक्त में नामजद संदेही व्यक्तियों श्याम बिहारी, विजय व साधू को पर्याप्त साक्ष्य न होने पर आरोप पत्र उनके विरुद्ध प्रेषित नहीं किया गया था। C.S कागज सं० 4A शामिल पत्रावली पर प्रदर्श क–6 डाला गया। गिरफ्तारी अभियुक्त फर्द बरामदगी एक मोटरसइकिल, एक मोबाइल फोन व आलाकत्ल हथौड़ी(वसूली) संबंधित कागज सं० 9A/7 शामिल पत्रावली है। दिनांक 02.12.14 मैं हमराही एस०एस०आई० हरजीत सिंह चीमा, कागज सं० शशिकांत लवानिया सरकारी जिप्सी चालक सूर्यप्रकाश मिश्रा क्राइम ब्रांच में राजेन्द्र यादव कांस्टेबिल धर्मपाल, करुणेश शुक्ला, रामकृष्ण द्विवेदी, श्रीकृष्ण गिरी चालक, मानवेन्द्र यादव के साथ अपराधियों की तलाश में प्रताप नगर चौराहे पर मौजूद था। मुखबिर की सूचना पर कि दिनांक 28.11.2014 की शाम को जिन दो बदमाशों ने कोथावां में प्रेमचन्द्र गुप्ता को नहर की पटरी पर मार कर लाश नहर में फेंक दी थी और उसकी मोटरसइकिल, फोन बदमाशों ने बरगदिहा मोड पर गाड़ी खड़ी करके व स्वयं ही आड़ लेकर इंतजार करने लगे। लगभग 10 मिनट बाद समय करीब 15.30 बजे मोटरसइकिल से मिश्रिख की तरफ से दो व्यक्ति आते दिखायी पड़े जिन्हें देखकर मुखबिर ने बताया कि यही दो बदमाश है घटना किये है। मोटरसइकिल जैसे ही बरगदिया मोड़ से मुड़ने लगी हम पुलिस वालों ने दबिस देकर दोनों व्यक्ति को पकड़ लिया। नाम पूछने व जामा

तलाशी लेने पर पहले ने अपना नाम जो मोटरसइकिल चला रहा था उसने अपना नाम बबलू पुत्र कल्लू रैदास ग्राम पडरा लखनपुर थाना माधौगंज हरदोई बताया। जामा तलाशी में पहनी जींस की दाहिनी जेब से 100 रूपया व दूसरे ने अपना नाम सुनील पुत्र दुर्जन रैदास निवासी नगवा थाना बेनीगंज बताया जमा तलाशी में उसके हाथ से एक मोबाइल नोकिया जिसमें सिम नं० 9651504169 बरामद हुआ। पहनी जिंस की जेब से एक पर्स जिसमें 125/– रूपया बरामद हुए दोनों के कब्जे से एक मोटरसइकिल हाण्डा ड्रीम न्यू 100 जिसका रजि० नम्बर मांगने पर कागज नहीं दिखा सका। पूंछने पर बताया कि दिनांक 28.11.2014 को शाम करीब 07.00 बजे हम दोनों ने कोथावां से मंगलापुर जाने वाली नहर की पटरी पर मंगलापुर की तरफ से मोटरसइकिल से आये एक व्यक्ति को वसूली मार कर गिरा दिया था और फिर मारा पीटा था। जिससे वह बेहोश हो गया था। उसके पास से विक्स की डिब्बी, मोबाइल फोन 1100/– रुपये मिले थे। वसूली लोहा(फल) वही गिर गया था। बेटी वहीं फेंक दी थी। मोटरसइकिल ले लिया था। उस व्यक्ति के गले में पड़े गमछे से गला घोंटकर मार दिया था। लाश को नहर के पानी में बहा दिया था। घटना स्थल पर चलकर वसूली ढूंढकर दे सकता हूँ। दोनों मुल्जिमान द्वारा मुकदमे से संबंधित मृतक प्रेमचन्द्र गुप्ता की हत्या करना व लूट करना व शव को नहर में बहा देने का जुर्म स्वीकार किया। जुर्म से अवगत कराकर हिरासत में लेकर गिरफ्तारी मेमो व फर्द तैयार की गई। फर्द मेरे बोलने पर एस०एस०आई० श्री हरवीर सिंह चीमा से लिखवाई थी। जिस पर मैंने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। फर्द की नकल अभियुक्तों को दी गई। अभियुक्तों ने घटनास्थल से एक लकड़ी की बेटी, फल एक पॉलीथीन में रखकर कपड़े में लपेटकर सील सर्व–मोहर किया था। मानवाधिकार व उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया। मौके पर मौजूद सभी के फर्द पर हस्ताक्षर कराये गये। कागज सं० 9A/5 व 9A/6 शामिल पत्रावली व फर्द बरामदगी व वसूली पर प्रदर्श क–7 डाला गया। आज सदर मालखाने से एक प्लास्टिक की बोरी वाला बैग जिस पर 54/2–18 अंकित है। चिट अपठनीय है खोलने पर एक लकड़ी की बेटी व उसका फल कपड़े मृतक, खूनालूदा मिट्टी, चप्पल निकली व सादी मिट्टी का डिब्बा निकला। बेटी व फल, कपड़ा, चप्पल पर क्रमशः 1 ता 4 वस्तु प्रदर्श डाला। न्यायालय के समक्ष एक सर्वशील मोहर पुलिन्दा जिसमें मु०अ०सं० 1004/14 अन्तर्गत धारा 394, 302, 201, 44 भा०दं०सं० थाना बेनीगंज हरदोई सरकार बनाम बब्लू आदि दो नफर अभियुक्त महमूला एक एक पर्स अंकित है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर अंकित है। जिस पर दिनांक 02.12.2014 अंकित है तथा जिस पर अपठनीय हस्ताक्षर हरवीर सिंह दिनांक 02.12..2014 अंकित है। इसी में सील अपठनीय हस्ताक्षर सी० जे०एम० दिनांक 03.12.2014 अंकित है तथा अभियुक्त सुनील व बब्लू का नाम अंकित है। जिसे खोलने पर एक अदद पर्स निकला जो सुनील के पास से बरामद हुआ था। एक अन्य शील सर्वमोहर पुलिंदा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर बने हस्ताक्षर देखकर साक्षी ने बताया यह मेरे हस्ताक्षर है तथा संबंधित मुकदमें का विवरण

अंकित है। जिसे खोलने पर एक सौ रूपये का नोट निकला। एक अन्य सर्वमोहर शील पुलिंदा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें संबंधित मुकदमे का विवरण तथा अपठनीय हस्ताक्षर SSI हर्सित सिंह तथा शील अपठनीय हस्ताक्षर C.J.M अंकित है। साक्षी ने अपने हस्ताक्षर देखकर पुष्टि की, जिसे खोलने पर एक अदद नोकिया काले रंग का मोबाइल (की पैड) निकला, जिसके अन्दर एक सिम एयरटेल जिसका EMI No. 356677/05/526243/5 अंकित है तथा एक बैटरी निकली, पर्स को वस्तु प्रदर्श–5, 100 रूपये के नोट को वस्तु प्रदर्श–6 तथा नोकिया मोबाइल को वस्तु प्रदर्श–7 के रूप में साबित किया है। यह माल अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद किया गया।

15. अभियोजन की ओर से **बतौर पी०डब्लू० 7 हरजीत सिंह चीमा** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.11.2014 को मैं थाना बेनीगंज पर बतौर एस०एस०आई० नियुक्त था। उसी दिन मुझे इस मुकदमा की विवेचना प्राप्त हुई थी। मु०अ०सं० 1004/14, धारा 364 भा०दं०सं० के अन्तर्गत एफ०आई०आर० दर्ज हुई थी और मैंने विवेचना ग्रहण करके केस डायरी में सी०डी० नं० 1 दिनांक 29.11.14 को किता करते हुए एफ०आई०आर० की नकल, जी०डी० की नकल, कायमी मुकदमा की जी०डी० की नकल की थी तथा वादी मोहन गुप्ता का बयान अंकित किया था। वादी व उसके साथ कुछ अन्य लोगों को लेकर घटनास्थल किया था व घटनास्थल से एक चप्पल, एक खूनालूदा लकड़ी का बेटा, एक बिक्स की डिब्बी बरामद की थी। जिन्हें कब्जे में लेकर अलग–2 सील मोहर करके फर्द तैयार की थी व नक्शानजरी तैयार किया था। फर्द व नक्शानजरी मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। मिट्टी खूनालूदा व सादा व एक डिब्बी बिक्स , एक खूनालूदा बेटी व एक चप्पल की फर्द व नक्शानजरी पत्रावली पर उपलब्ध है। कागज सं० 9A/1 फर्द चप्पल पर प्रदर्श क–8 व कागज सं० 9A/2 लकड़ी की बेटी पर प्रदर्श क–9 व कागज सं० 9A/3 फर्द डिबिया बिक्स पर प्रदर्श क–10 व कागज सं० 9A/4, सादा मिट्टी व खूनालूद फर्द पर प्रदर्श क–11 डाला गया। कागज सं० 8A/1 नक्शानजरी पर प्रदर्श क–12 डाला गया। इसके पश्चात मेरे द्वारा कांस्टेबिल सतीश को लेकर ग्राम मंगलापुर में जाकर वादी द्वारा एफ०आई०आर० में संदेह में नामजद किये गये श्यामा बाहारी व विजय, साधू को उनके नाम एफ०आई०आर० में नाम दर्ज होने की जानकारी देते हुए घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई और बयान दर्ज किये गये। रामप्रसाद का बयान अंकित किया गया फर्द की नकल की। वादी द्वारा प्रदत्त मोटरसइकिल की रसीद की छायाप्रति दी थी जो संलग्न की गयी थी। सी०डी०–II दिनांक 30.11.2014 को किता किया जिसमें एफ०आई०आर० लेखक सी०सी० जितेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया। सी०डी०–III दिनांक 01.12.2014 को मृतक की पत्नी श्रीमती जयरानी गुप्ता, गवाह नितीन कुमार का बयान अंकित किया गया। सी०डी०–IV दिनांक 02.12.2014 को मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नकल कापी की गयी थी व मुकदमा में धारा–302 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी थी। उसी दिन अभियुक्त

बब्लू व सुनील की गिरफ्तारी की तथा उनके कब्जे से मृतक प्रेमचन्द्र की मोटरसइकिल व एक मोबाइल फोन बरामद किया। जिसकी फर्द एस०एच०ओ० श्री अरुण कुमार मिश्रा के बोलने पर मेरे द्वारा लिखी गयी थी। अभियुक्त को मौके पर घटनास्थल पर ले जाकर घटना की निशादेही कराई गई थी व अभियुक्त बबलू व सुनील के बयान अंकित किये थे। सी०डी०–V दिनांक 04.12.2014 को फर्द बरामदगी के गवाह एस०एच०ओ० अरुण कुमार मिश्र के बयान का अंकित किया इसके पश्चात प्रभारी निरीक्षक श्री अरुण कुमार मिश्रा को विवेचना ट्रांस्फर कर दी गई। सी०डी०–VI दिनांक 02.12.2014 को समस्त परचों का अवलोकन करके मुकदमे में धारा–394, 302, 411, 201 भा०दं०सं० में तरमीम किया गया था।

16. अभियोजन की ओर से **बतौर पी०डब्लू० 8 योगेन्द्र कुमार सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं थाना अतरौली में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था दिनांक 01.12.2014 को समय 10.05 बजे नकल रपट थाना कार्यालय अतरौली से प्राप्त हुई थी। उसी आधार पर मैं जिल्द पंचायतनामा व अन्य कागजात लेकर कांस्टेबिल सुरेन्द्र कुमार वर्मा व एच०जी० जितेन्द्र पाण्डेय को साथ लेकर चोपला पुलिया ग्राम तेन्दवारी मजरा डिन्फुन्सी थाना अतरौली मौके पर पहुँचा। शव बम्बा(नहर) से मृतक के परिवारीजन मौजूद थे। उनके सहयोग से शव नहर से निकालकर, नहर पटरी पर रखवाया गया। शव की शिनाख्त परिवार वालों ने की थी। यह शव प्रेमचन्द्र गुप्ता पुत्र स्व० गुरूदयाल गुप्ता कस्बा कोथावां बेनीगंज हरदोई का बताया गया। पंचायतनामा उनके परिवारिकजनों में से पंचान नियुक्त किया गया। पंचायत में श्रीराम गुप्ता, सतीश गुप्ता, नितिन गुप्ता, अंकुर गुप्ता, विनय गुप्ता को नियुक्त करके पंचायत नामा की कार्यवाही 10.40 से प्रारम्भ कर 11.50 पर समाप्त की थी। शव की दशा सिरजानीब दक्षिण पैर जानिब उत्तर चित अवस्था में बाँया हांथ पेट पर रखा हुआ। दाहिना हाथ कोहनी से मुड़ा हुआ। पैर बायां सीधा, दाहिना पैर घुटने से मुड़ा हुआ था। मुँह खुला हुआ था। शव के शरीर पर नाक के ऊपर चोट, चेहरे व होठ पर चोट दोनों आखों पर चोट, खूनालूद, ललाट पर रगड़ गले पर रस्सी के निशान, दाहिने कनपटी पर निशान, खूनालूद, पंचान की राय में मृतक की मृत्यु मारकर शव को गायब कर दिया गया है। मेरी भी यही राय है। शव को कपड़े में रखकर शील मोहर कर वास्ते पोस्टमार्टम आरक्षी सुरेन्द्र कुमार वर्मा H.G. जितेन्द्र पाण्डेय को समस्त कागजातों के साथ शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। कागज सं० 12अ/1 लगायत 12अ/2 शामिल पत्रावली पंचायतनामा मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसपे प्रदर्श क–13 डाला गया। कागज सं० 12अ/6 चालाननाश पर प्रदर्श क–14 डाला गया तथा फोटोनाश कागज सं० 12अ/4 पर प्रदर्श क–15 डाला गया, कागज सं० 12अ/7, रिपोर्ट सी०एम०ओ० पर प्रदर्श क–16 डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

17. अभियुक्तगण बबलू व सुनील कुमार के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० दिनांक 06.01.2024 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने साक्षी पी०डब्लू० 1 के बयान के संबंध

में" गलत है। प्रार्थी के पास से कोई मोटरसइकिल बरामद नहीं हुई है। प्रार्थी कथित घटनास्थल पर नहीं गया था।" का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 2 के बयान के संबंध में "गलत है। घटना के कई दिन बाद राय मसविरा से आदित्य कुमार को गवाह बनाया गया।" का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 3 के बयान के संबंध में "फर्द कब बनायी गयी मुझे जानकारी नहीं है।" का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 4 के बयान के संबंध में "कोई जानकारी नहीं।" का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 5 के बयान के संबंध में "चोटो व शव विच्छेद के विषय में कोई जानकारी नहीं है।" का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 6 के बयान के संबंध में "प्रार्थी के पास कोई वस्तु बरामद नहीं हुई।" का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 7 के बयान के संबंध में" जानकारी नहीं है।" का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 8 के बयान के संबंध में "जानकारी नहीं है।" का कथन किया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ की परीक्षण रिपोर्ट कागज सं० 55अ/3 के संबंध में "कुछ मुकदमे को बल देने के लिए झूठा साक्ष्य तैयार कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया" का कथन किया है। मैं निर्दोष हूँ व रंजिशन पुलिस द्वारा झूठा फसाया गया है।

18. दौरान बहस विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियोजन कथानक का वर्णन करते हुए कहा कि अभियुक्तगण ने मृतक से लूटपाट करने हेतु वसूली से सर में मारकर व उसके गमछे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी व शव नहर में डाल दिया। पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 ने घटना का समर्थन किया है पी०डब्लू० 3 ने घटनास्थल से मृतक के सामान व आलाकत्ल की बरामदगी की फर्द साबित की है। पी०डब्लू० 5 ने मृतक का पोस्टमार्टम किया जाना व पी०डब्लू० 4, 6, 7 व 8 से अभियुक्तगण के पास से मृतक की मोटरसइकिल, मोबाइल बरामद होना साबित किया है जिससे अभियुक्तगण ही उक्त घटना कारित किया जाना साबित होता है। अतः दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की है।

19. दौरान बहस बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण की ओर से तर्क रखा गया है कि वे निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 अविश्वसनीय है। पुलिस ने फर्जी बरामदगी दिखाकर उन्हें अभियुक्त बना दिया है।उनके पास से कोई मोटरसइकिल मृतक की बरामद नहीं हुई है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट से भी अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है। प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 विश्वसनीय नहीं है एवं अभियोजन अन्य कोई विश्वसनीय साक्षी प्रस्तुत नहीं कर सका है। अभियोजन साक्षियों के बयानों में घोर विरोधाभास है। अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेहों से परिपूर्ण है। हत्या कारित करके वादी मुकदमा के पिता की लाश को कहीं गायब कर दिये जाने तथा वादी मुकदमा के पिता की मोटरसइकिल को गायब किये जाने का कथन किया है, बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अतः अभियुक्तगण इस मामले में दोषमुक्ति का हकदार है।

20. उभय पक्षों के तर्को के आधार पर इस मामले में निम्न **अवधार्य प्रश्न** उत्पन्न होता है कि क्या अभियुक्तगण बबलू व सुनील कुमार के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 302, 394, 411, 201 भारतीय दण्ड संहिता युक्तियुक्ति संदेह से परे साबित है अथवा नहीं। क्या अभियुक्तगण द्वारा मृतक को वसूली से मारकर उससे मोटरसइकिल व रूपये एवं मोबाइल लूटकर उसकी हत्या कर उसकी लाश को गायब किया गया।

21. **धनपाल बनाम स्टेट 2009 (62) ए०सी०सी० 697** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि अपराधिक विचारण में यह दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह अपना कथन सिद्ध करें तथा न्यायालय का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि जैसा अभियोजन का कथन है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जाये। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में किसी भी प्रकार के अभिवृद्धि या सुधार की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैसा कि अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के आवश्यक तत्व को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित करें और यदि अभियोजन पक्ष अपने इस दायित्व में विफल रहता है कि तो उसका लाभ अभियुक्तगण को मिलना चाहिये।

उभय पक्ष के तर्क, साक्ष्य का विश्लेषण व न्यायालय का निष्कर्षः–

22. न्यायालय द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों व प्रपत्रों का सावधानी एवं सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया।

23. सुनने व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले की तहरीर मृतक के पुत्र मोहन गुप्ता द्वारा दिनांक 29.11.2014 को थाना बेनीगंज पर दी गयी। जिसमें दिनांक 28.11.14 को उसके पिता श्री प्रेमचन्द गुप्ता का शाम लगभग 06.00 बजे अपनी मोटरसइकिल से ग्राम मंगलापुर में श्री श्यामबिहारी रैदास के घर जाने और घर वापस न आने पर उनकी तलाश किया जाना तथा कोथावां व ग्राम मंगलापुर के रास्ते पर भरती नाले के पास उनकी चप्पल पड़ी मिलने तथा खून व एक डण्डा व बिक्स की डिब्बी मिलने का तथ्य अंकित है। उसने श्यामबिहारी व उसके लड़के विजय व साधू नाम के व्यक्ति के विरुद्ध संदेह के आधार पर उक्त तहरीर थाने पर दी है। जिसके आधार पर श्यामबिहारी विजय व साधू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा– 364 भा०दं०सं० में थाना बेनीगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 02.12.2014 को अभियुक्तगण बबलू व सुनील के पास से मृतक की मोटरसइकिल व मोबाइल फोन बरामद होने के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त वसूली/हथौड़ी का लोहे का फल व मृतक की चप्पल आदि बरामद होने के आधार पर अभियुक्तगण बबलू व सुनील के विरुद्ध अन्तर्गत धारा– 394, 302, 201 411 भा०दं०सं० में आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

24. पी०डब्लू० 1 वादी मोहन गुप्ता ने अपने मुख्य बयान में घटना के दिन शाम 6 बजे के करीब अपने पिता का मोटरसइकिल से जाना बताते हुए स्वयं द्वारा दी गयी तहरीर में अंकित तथ्यों का समर्थन किया गया है तथा कहा है कि घटनास्थल पर भरती नाला के पास ग्राम मंगलापुर के रास्ते पर पिता की दाहिने पैर की चप्पल व एक डण्डा छोटा बेंत के समान मिला था। जमीन पर किसी से जोर जबरदस्ती करने से रगड़ के निशान भी देखे थे। मेरे द्वारा थाने पर श्यामबिहारी व उनके लड़के विजय व साधू के नाम शक के आधार पर लिखा दिये थे। मुकदमे की तहरीर अपने चचेरे भाई सुशील गुप्ता से बोलकर लिखाकर अपने हस्ताक्षर बनाकर थाने पर देना बताया है। तहरीर को साबित किया है जो प्रदर्श क–1 है। उसने यह भी कहा है कि घटना के दूसरे दिन मेरे पिता की लाश ग्राम तंदवारी ढुक्कुन्नी नहर के अन्दर पानी में पड़ी मिली थी उसने लाश के पास जाकर देखा व पहचाना था। उसके पिता के नाक के ऊपर व चेहरे पर चोट के निशान थे व गले पर रगड़ के निशान थे। उसने यह भी कहा है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तगण बबलू व सुनील को जब पकड़ा गया तो उनके पास से मेरी मोटरसइकिल जो मेरे पिता घटना के समय लेकर गये थे व मोबाइल भी बरामद हुआ था। मोटरसइकिल मैंने न्यायालय के आदेश से पायी थी जो आज भी मेरे पास है। उसने घटना के 20–25 दिन बाद विनोद कुमार व आदित्य कुमार के मिलने पर उनके द्वारा यह बताया जाना कहा है कि उन्होंने घटना के दिन रात में नहर की पटरी पर अभियुक्तगण को उसके पिता की नई मोटरसइकिल के पास देखा था। जिरह में उक्त गवाह ने कहा है कि मेरे पिता जी श्यामबिहारी के यहां निमन्त्रण में गये थे घर से अकेल गये थे। उनके साथ घर का कोई नहीं था। जब आधी रात तक घर वापस नहीं आये तब उनकी तलाश शुरू की। मैंने अपने पिता को किसी को मारते हुए नहीं देखा। दिनांक 29.01.14 को ही दरोगा जी ने घटनास्थलल का निरीक्षण किया था तथा नक्शानजरी मेरी निशानदेही पर ही बनाया था। वहां पर मेरे पिता की चप्पल पड़ी थी एक बिक्स की डिबिया व एक खूनालूद बेंटी पड़ी मिली जिसे दरोगा जी ने मेरे सामने सभी चीजे सील की थी और मेरा बयान लिखा था। उसने आगे कहा है कि मेरे पिता की लाश नहर में मिली थी। पुलिस ने लाश सील की थी और पोस्टमार्टम हेतु भेजी थी। वसूली आदि की बरामदगी पर शायद मेरे दस्तखत कराये थे। मैंने मारने वालों को देखा नहीं था जब पुलिस वाले पकड़ कर लाये तब पहचनवाया था। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने पिता का घटना के दिन श्यामबिहारी के घर निमंत्रण में जाने और वापस लौटकर न आने पर तलाश करने के दौरान भरती नाले के पास नहर की पटरी पर अपने पिता की एक चप्पल बिक्स की डिब्बी व लकड़ी की बेंटी मिलने पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कराये जाने का तथ्य साबित किया है तथा अभियुक्तगण के पास से पिता का मोबाइल व मोटरसइकिल जिस पर वह गये थे , बरामद होने तथा मोटरसइकिल को न्यायालय के माध्यम से प्राप्त होने का तथ्य साबित किया है।

25. पी०डब्लू० 2 आदित्य कुमार ने अपने मुख्य बयान में दिनांक 28.11.2014 को

विनोद कुमार के साथ उसकी मोटरसइकिल से कोथावां से अपने गांव जाते समय शाम करीब 07.00 बजे कोथावां मंगलापुर के मध्य पटरी के किनारे नहर की तरफ एक मोटरसइकिल खड़ी देखने और उसके पास दो आदमी खड़े देखना बताया है। उनके पास पहुँचने पर मोटरसइकिल की आड़ में उनका बैठ जाना कहा है। उसने कहा है कि हमने समझा कि उनकी मोटरसइकिल खराब हो गयी है। पास जाकर देखा तो हाजिर अदालत मुल्जिमान सुनील व बबलू दोनों बैठे थे पूछने पर दोनों ने बताया कि बाइक खराब नहीं हुई है। हम लोग शौच के लिए रुके हैं। इसके बाद दिनांक 29.11.14 को सुबह मजदूरी करने विनोद के साथ लखनऊ चले जाना कहा है। वहां से 26.12.14 को वापस आने पर गांव में यह पता चला कि कोथावां के प्रेमचन्द गुप्ता को अभियुक्त सुनील रैदास व बबलू रैदास ने दिनांक 28.11.14 को नहर की पटरी पर शाम को लूट लिया था और उनकी हत्या करके लाश नहर में बहा दी थी। यह भी मालूम हुआ कि दोनों पकड़े जा चुके हैं। यह बात मैंने प्रेमचन्द के घरवालों को लखनऊ से लौटने के बाद बतायी थी। तब मैं मोहन गुप्ता के साथ थाने गया और जो देखा वह दरोगा जी को बता दिया। जिरह में उक्त गवाह ने कहा है कि मैं प्रेमचन्द गुप्ता को तीस– पैंतीस साल से जानता हूँ मेरा उनके यहां आना जाना भी है। मैं उनकी पत्नी व लड़के को भी जानता हूँ। उनकी मृत्यु की जानकारी होने पर उनके घर गया था। जब मैं लखनऊ से वापस आया उसके तीसरे दिन दरोगा जी ने हमें बुलाया था तब मेरा बयान लिखा था। लखनऊ से लौटने के दूसरे दिन मृतक के घर गया था तथा तीसरे दिन थाने गया था। बबलू को पहले से नहीं जानता था। नहर की पटरी पर जो मोटरसइकिल खड़ी थी उसका नंबर मैंने नहीं देखा था। मुल्जिमान को मैंने अपने गांव मोटरसइकिल से आते देखा था। जिस मोटरसइकिल से मुल्जिमान आते थे उसका नंबर नहीं मालूम है। प्रेमचन्द गुप्ता कितने बजे मारे गये, कितने बजे नहर में बहाये गये मुझे नहीं मालूम। दिन मे मारे गये या रात में मारे गये मुझे नहीं मालूम। वे शाम सात बजे के बाद मारे गये होंगे। यह कहना गलत है कि प्रेमचन्द गुप्ता से पारिवारिक संबंध होने के कारण उनके घर वालों के कहने पर फर्जी गवाही दे रहा हूँ। मृतक प्रेमचन्द गुप्ता को किसी के द्वारा मारते मैंने नहीं देखा। लूटपाट करते भी मैंने नहीं देखा। मुल्जिमानों के पकड़े जाते समय मैं मौके पर नहीं था। मैंने कोई घटना अपनी आंखो से नहीं देखी है। दरोगा जी ने मेरा बयान चौकी कोथावां में दिनांक 28.12.14 को लिया था। मैंने जो बताया था वही दरोगा जी ने लिखा था। मैं नहीं बता सकता कि मुल्जिमान बबलू व सुनील के पास से कोई वस्तु बरामद हुई या नहीं। प्रेमचन्द गुप्ता जब क्षेत्र में जाते थे तो मेरे यहां भी मिलने–जुलने आते थे। प्रेमचन्द गुप्ता जिस दिन मारे गये उसके चौबीस–पच्चीस दिन बाद मुझे उनके मारे जाने की जानकारी हुई। इस बीच मैं लखनऊ में रहा था। इस प्रकार उक्त गवाह ने पी०डब्लू० 1 के इस कथन का समर्थन किया है कि घटना के चौब्बीस–पच्चीस दिन बाद जब आदित्य कुमार मिले तो उन्होंने बताया कि घटना के दिनांक को शाम 07.00 बजे के लगभग उसने अभियुक्तगण को एक मोटरसइकिल के पास खड़े हुए देखा था, जो उसे देखकर आड़ में

बैठ गये थे। इसके बाद वह लखनऊ मजदूरी करने चला गया और चौबीस–पच्चीस दिन बाद वापस लौटने पर यह बात वादी मुकदमा को बतायी।

26. पी०डब्लू० 3 मनोज कुमार गुप्ता ने अपने मुख्य बयान में दिनांक 29.11.14 को नितिन गुप्ता व मृतक प्रेमचन्द गुप्ता के घरवालों के साथ उनकी तलाश करने जाने पर पटरी पर पहुँचने पर मृतक के दाहिने पैर की लाल काले रंग की चप्पल व एक लकड़ी की बेटी जिस पर खून लगा था व एक बिक्स की डिब्बी का पुलिस वालों द्वारा कब्जा पुलिस लेकर मौके पर फर्द तैयार करना बताया है। जिसे पढ़कर सुनकर उस पर अपने हस्ताक्षर किया जाना कहा है। पुलिस वालो द्वारा वहां से मिटट्टी सादा व खूनालूदा व घासफूस को कब्जे में लेकर उसकी फर्द तैयार किया जाना व उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये जाने की पुष्टि की है। जिरह में उक्त गवाह ने कहा है कि मेरे सामने एक अदद चप्पल व बिक्स की डिबिया नहर पटरी से बरामद की थी। दो पुलिस वाले थे। घटनास्थल पर मिट्टी(शव) नहीं मिली थी। उसे ढूंढ रहे थे। चप्पल लाल–काले रंग की थी। पुलिस वालों ने मेरे कागजों पर दस्तखत कराये थे। पुलिस में एक सरदार जी थे उनका नाम नहीं बता सकता, वह दरोगा थे, जिस समय यह बरामदगी हुई थी उस समय इस बात की जानकारी नहीं थी कि हत्या किसके द्वारा की गयी है। लिखापढ़ी पर दस्तखत के अलावा अन्य जानकारी नहीं है। निश्चित समय नहीं पता कि कितने बजे लिखापढ़ी की गयी। चप्पल बरामद होने के दूसरे दिन लाश की बरामदगी हुई थी। बरामदगी के समय नहर के दोनों तरफ खेतों में गेहूँ की फसल खड़ी थी। आगे कहा है कि प्रेमचन्द मेरे पारिवारिक चाचा लगते थे उनको लूटते हुए और मारते हुए किसी को मैंने नहीं देखा था। इस प्रकार उक्त गवाह ने घटनास्थल से मृतक की एक चप्पल बिक्स की डिब्बी तथा लकड़ी की बेंत बरामद होने की लिखापढ़ी अपने सामने किये जाने का तथ्य साबित किया है तथा दूसरे दिन लाश बरामद होने का कथन किया है।

27. पी०डब्लू० 4 हे०कां० जीतेन्द्र सिंह ने दिनांक 29.11.14 को वादी मोहन गुप्ता का अपने अन्य साथियों के साथ आना व एक प्रार्थनापत्र देना बताया है जिसके आधार पर इस अभियोग की चिक एफ०आई०आर० अन्तगत धारा– 364 व कायमी जी०डी० किता किया जाना साबित किया है जो प्रदर्श क–2 व 3 है। जिरह में कहा है कि यह मुकदमा तीन लोगों के विरुद्ध लिखा गया था। किन–किन लोगों के विरुद्ध लिखा गया, मुझे याद नहीं है। वादी मुकदमा के साथ छः लोग आये थे। सभी के नाम याद नहीं है जिन लोगों के विरुद्ध संदेह के आधार पर मुकदमा लिखाया गया था। उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई या नहीं मुझे याद नहीं है। इस मुकदमे के विवेचक हरजीत सिंह चीमा उस समय थाने पर मौजूद नहीं थे। यह कहना गलत है कि घटना की तहरीर मेरी व थानाध्यक्ष की राय मशविरा के आधार पर तैयार की गयी हो। इस प्रकार उक्त गवाह ने वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इस अभियोग की चिक एफ०आई०आर० व कायमी जी०डी० को साबित किया है।

28. पी०डब्लू० 5 डा० मसूद आलम ने दिनांक 01.12.2014 को 03.40 pm से 04.00 Pm तक मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया जाना साबित किया है जो प्रदर्श क–3A है। मृत्यु पूर्व चोटो में 1. मृतक के सिर के दाहिने तरफ कान से 02 Cm ऊपर एक लैसरेटेड वुण्ड जिसका साइज 4 x 1 Cm था। यह घाव Skull Deep था। 2. Ligature mark गर्दन के चारों तरफ 35 Cm लम्बा Ligature mark मौजूद था। गर्दन की पूरी माप भी 35 Cm थी कोई गैप नहीं था, यह तथ्य साबित किया है। आन्तरिक परीक्षण में खोपड़ी के दाहिने तरफ की हड्डी टूटी हुई थी और Brain Hametona मौजूद था। गर्दन में मौजूद Hyaed bone दोनों तरफ से Fractured थी। सांस नलिका व फेफड़े में सूजन थी, होना बताया है। उक्त विशेषज्ञ साक्षी ने मृतक की मृत्यु लगभग दो दिन पहले हो जाने की राय दी है। जो मृत्यु पूर्व आयी चोटे और गला कस जाने की वजह से दम घुटने व शॉक व हैमरेज की वजह से होना बताया है। जिरह में उक्त गवाह ने कहा है कि कान के ऊपर फटा हुआ भाग जो पाया गया वह किसी हार्ड एण्ड ब्लंट आब्जेक्ट से आना संभव है। मसलन लाठी और डण्डे से भी पहुँचाया जा सकता है। गर्दन के चारों तरफ 35 Cm लंबा लिगेचर मार्क में कोई गैप नहीं था, यह चोट रस्सी के कसने से भी आ सकती है। शरीर पर कोई मिट्टी व कीचड़ नहीं लगी थी। मृत्यु में 12 घण्टे का अन्तराल हो सकता है। इस प्रकार उक्त गवाह ने मृतक के सर पर दाहिनी तरफ कान के ऊपर स्कलडीप लैसरेटेड वुण्ड तथा गले के चारों तरफ 35 मी० लंबा लिगेचर मार्क तथा खोपड़ी के दाहिने तरफ हड्डी का टूटना तथा गर्दन में मौजूद बोन दोनों तरफ से फ्रैक्चर्ड व सांस नलिका व फेफड़ों में सूजन आना बताया है और इन्हीं चोटों की वजह से उसकी मृत्यु हो जाने का तथ्य साबित किया है। उसके साक्ष्य से तहरीर में अंकित घटना के दिन व समय मृतक की अस्वाभाविक परिस्थितियों में मारने–पीटने व गला कसने से मृत्यु होने का तथ्य साबित होता है।

29. पी०डब्लू० 7 सेवानिवृत्त निरीक्षक हरिजीत सिंह चीमा ने दिनांक 29.11.14 को इस अभियोग की विवेचना मिलने पर वादी का बयान अंकित कर वादी व उसके साथ कुछ अन्य लोगों को लेकर घटनास्थल पर जाकर वहां से एक चप्पल, एक खून लगा लकड़ी का बेंटा व एक बिक्स की डिब्बी कब्जे में लेकर फर्द व नक्शानजरी तैयार करना तथा मिट्टी खूनालूदा व सादा की भी फर्द व नक्शानजरी तैयार किया जाना साबित किया है जो प्रदर्श क–8 लगायत प्रदर्श क–12 है जिसके बाद संदेह के आधार पर नामजद श्यामबिहारी, विजय व साधू से घटना के संबंध में विस्तृत पूछतांछ कर उनके बयान अंकित किया जाना साबित किया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धारा–302 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी कर दिनांक 02.12.2014 अभियुक्त बबलू व सुनील की गिरफ्तारी व उनके कब्जे से मृतक की मोटरसइकिल व मोबाइल फोन बरामद किया जाना जिसकी फर्द थाना प्रभारी अरुण कुमार मिश्रा के बोलने पर स्वयं लिखे जाने का तथ्य साबित किया है। इसके बाद विवेचना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार को स्थानान्तरित हो जाना कहा है। जिरह में उक्त गवाह ने कहा है कि

संदेह के आधार पर नामजद अभियुक्तों को पकड़कर थाने नहीं लाया गया था। उनसे इस घटना के संबंध में पूछताछ करके बयान लिये थे। मृतक की लाश थाना अतरौली में शारदा नहर से बरामद हुई थी, लेकन कोई रूपया–पैसा मृतक की जेब से बरामद होने की जानकारी मुझे नहीं है। पकड़े गये लोगों में से एक के पास से सौ रूपये व दूसरे के पास से एक सौ पच्चीस रूपये बरामद हुए थे। मोटरसइकिल शराब के ठेके से बरामद नहीं हुई थी। घटना के चौथे दिन मैंने मुल्जिमानों को पकड़ा था लेकिन उनके पास से एक लाख रूपये बरामद नहीं हुये थे। क्राइम ब्रांच वाले मुल्जिमानों को पकड़कर थाने नहीं लाये थे। यदि मोहन ने बबलू व सुनील को क्राइम ब्रांच वालों द्वारा पकड़कर थाने लाने और गिरफ्तारी की फर्द थाने पर लिखा जाना बताया है, तो यह गलत माना जाए। फर्द, गिरफ्तारी स्थल पर लिखी गयी थी। मुल्जिमान ने बताया था कि मृतक से एक हजार रूपये मिले थे जो हमसे खर्च हो गये हैं। 99,000/– रूपये के बारे में नहीं बताया था कि कहां खर्च हो गये। वादी ने भी मुझे एक लाख रूपये वाली बात नहीं बतायी थी। जहाँ पर बरामदगी हुई थी वहां पर पब्लिक का कोई गवाह नहीं था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान से बरामद मोटरसइकिल पहले से थाने पर खड़ी हो। यह भी गलत है कि मोटरसइकिल प्रताप नगर चौराहे से एस०टी०एफ द्वारा थाने उठाकर लायी गयी हो। यह भी गलत है कि अभियुक्तगण को घर से पकड़कर फर्जी बरामदगी दिखाकर झूठा केस लगाकर चालान कर दिया हो। इस प्रकार उक्त गवाह ने अभियोग पंजीकृत होने के बाद प्रारम्भिक विवेचना किया जाना साबित किया है तथा दिनांक 02.12.2014 को अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व उनके पास से मृतक की मोटरसइकिल व मोबाइल बरामद होने का तथ्य साबित होता है।

30. पी०डब्लू० 6 सेवानिवृत्त डिप्टी एस०पी० अरुण कुमार मिश्रा ने दिनांक 05.12.14 को इस अभियोग में धारा–302,394, 201, 411 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी के उपरान्त विवेचना गृहण किये जाने तथा संबंधित माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने तथा विवेचना कर नक्शानजरी गिरफ्तारी व नक्शानजरी बरामदगी स्थल आलाकत्ल हथौड़ी(वसूली) तथा आरोपपत्र साबित किया है। जो प्रदर्श क–4 लगायत प्रदर्श क–6 है। मुखबिर की सूचना पर बरगदिया मोड पर समय करीब 15.30 पर अभियुक्तगण बबलू व सुनील को मोटरसइकिल से जाते समय गिरफ्तार किया जाना तथा बबलू की जेब से सौ रूपया व सुनील की जेब से एक सौ पच्चीस रूपये व मोबाइल नोकिया तथा दोनों के कब्जे से एक मोटरसइकिल होण्डा ड्रीम न्यू 100 बरामद किया जाना कहा है। पूंछने पर दोनों अभियुक्तगण द्वारा घटना के दिन व समय घटनास्थल पर मोटरसइकिल से आए एक व्यक्ति को वसूली से मारकर गिरा देने और मारने पीटने का कथन किया जाना कहा है, उसने कहा है कि अभियुक्तगण ने कहा कि मारपीट से वह बेहोश हो गया उसके पास से बिक्स की डिब्बी मोबाइल फोन, 1100 /– रूपये मिले थे। वसूली का लोहा(फल) वहीं गिर जाने और लकड़ी की बेटी वहीं फेंक देना तथा मोटरसइकिल ले लेना बताया है। उसने यह भी कहा कि

अभियुक्तगण ने बताया कि उस व्यक्ति के पड़े गमछे से गला घोंटकर मार दिया और लाश को नहर में बहा दिया था। अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटनास्थल से एक लकड़ी के बेटी का फल सील सर्व मुहर कर कब्जा पुलिस लेना साबित किया है जो प्रदर्श क–7 है। न्यायालय के समक्ष सदर माल खाने से प्रस्तुत बैग में से एक लकड़ी की बेटी व उसका फल मृतक के कपड़े व खूनालूटा मिट्टी चप्पल व सादी मिट्टी का डिब्बा को वस्तु प्रदर्श 1 ता 4 के रूप में साबित किया है। पुनः परीक्षा में उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष सर्वशील मुहर पुलिन्दा खोलने पर निकले एक पर्स सुनील के पास से गिरफ्तारी के समय बरामद होना बताया है जिसे खोलने पर एक सौ रूपये का नोट निकला। दूसरे सर्व मोहर शील पुलिन्दा न्यायालय के समक्ष खोलने पर एक अदद नोकिया काले रंग का मोबाइल की–पैड वाला जिसके अन्दर एक सिम एयरटेल का जिसका ई०एम०आई० नं–356677/05/526243/5 अंकित है तथा एक बैटरी को देखकर उसे अभियुक्त के पास से बरामद होना साबित किया है। उक्त वस्तुओं को वस्तु प्रदर्श 5, 6 व 7 के रूप में साबित किया है। जिरह में उक्त गवाह ने कहा है कि दिनांक 01.12.14 को लूटी गयी मोटरसइकिल प्रताप नगर चौराहे से थाने नहीं लायी गयी थी। यदि मोहन गुप्ता ने अपने बयान में ऐसा बताया है तो गलत है। ऐसा कोई बयान मोहन गुप्ता ने नहीं दिया था। मैंने खूनालूद लकड़ी को विधि विज्ञान प्रयोगशाल भेजा था। घटनास्थल पर पश्चिम में गन्ने का खेत और पूरब में खाली खेत थे। दोनों तरफ गेहूँ की फसल नहीं खड़ी थी। मोटरसइकिल दिनांक 02.12.2014 को मेरे द्वारा हमराही पुलिसबल व क्राइम ब्रांच के सहयोग से बरामद की गयी थी। यदि मोहन गुप्ता ने क्राइम ब्रांच वालों द्वारा बबलू व सुनील को थाने पकड़कर लाने की बात बतायी हो तो इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुल्जिमानों को 02 तारीख को पकड़ा गया था 01 तारीख को नहीं। मुल्जिमानों को गिरफ्तारी के 24 घण्टे अन्दर न्यायालय भेज दिया गया था। मैंने मोहन गुप्ता को यह बताया था कि मोटरसइकिल अदालत के आदेश से ही दी जा सकती है। मैंने नामजद व्यक्तियों को हिरासत में नहीं लिया था, लेकिन पूछताछ की थी। पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया था। यह कहना गलत है कि मोटरसइकिल बरामद होने के बाद नामजद अभियुक्तों को छोड़ दिया हो और बबलू व सुनील को झूठी बरामदगी दिखाकर चालान कर दिया हो। बाद में हुई जिरह में उक्त गवाह ने कहा है कि मुझे इस मुकदमे की सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी तब मैं हमराही फोर्स के साथ थाने पर गया। उस समय सुबह 10.00 बजे का समय था। मैं अपने सरकारी वाहन से घटनास्थल पर गया। क्राइम ब्रांच वाले अपनी गाड़ी से थे। हमको भी सूचना मिली। क्राइम ब्रांच को भी सूचना मिली थी। बरामदगीस्थल मुख्य मार्ग से सटा हुआ है। आवागमन रहता है। गवाही के लिए प्रयास किया था। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ था। आने–जाने वाले राहगीरों से गवाही के लिए कहा था पर कोई तैयार नहीं हुआ। यह कहना गलत है कि मोटरसाइकिल शराब के ठेके से पूर्व में ही पहुँचाई जा चुकी थी। यह भी कहना गलत है कि कथित माल फर्जी तरीके से लगाकर झूठा चालान किया हो। इस प्रकार उक्त गवाह ने भी विवेचना किये जाने तथा अभियुक्तगण की

गिरफ्तारी पर मृतक की मोटरसइकिल, मोबाइल मिलने तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त वसूली का फल मिलने का तथ्य साबित किया है।

31. पी०डब्लू० 8 एस० आई० योगेन्द्र कुमार सिंह ने दिनांक 01.11.14 चोपला पुलिया ग्राम तिंदवारी थाना अतरौली पर बंबा (नहर) पर जाकर मृतक के परिवारीजन के सहयोग से मृतक का शव नहर से निकलवाकर नहर पटरी पर रखवाकर शव की शिनाख्त परिवार वालों से कराकर पंचान नियुक्त कर पंचायतनामे की कार्यवाही किया जाना साबित किया है तथा शव को कपड़े में रखकर शील मोहर कर वास्ते पोस्टमार्टम मय समस्त कागजात चालाननाश , फोटोनाश, चिट्ठी सी0 एम 0 ओ आदि भेजे जाने का तथ्य साबित किया है, जो प्रदर्श क–13 लगायत प्रदर्श क–16 हैं। जिरह में उक्त गवाह ने कहा है कि शव मिलने की सूचना नितिन गुप्ता पुत्र रामू गुप्ता निवासी कोथावां थाना अतरौली ने दी थी। पंचो ने अपनी राय में यह बताया था कि मृतक को मार कर लाश गायब कर देना प्रतीत हो रहा है, फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम करा लिया जाए। आगे कहा है कि नहर चल नहीं रही थी, बन्द थी। हल्का–हल्का पानी चल रहा था। शव को नहर से निकालकर मृतक के परिवारीजनों द्वारा नहर की पटरी पर रखा गया था। मृतक के गले में रस्सी के निशान बने हुए थे। सूचना फौती थाना बेनीगंज से आयी थी। उसी के आधार पर मैंने मुकदमे का उनवान लिखा था। इस प्रकार उक्त गवाह ने मृतक की लाश घटना के अगले दिन मिलना तथा शव के पंचायतनामा की कार्यवाही किया जाना साबित किया है।

32. उपरोक्त समक्ष साक्ष्य के विश्लेषण से प्रकट होता है कि पी०डब्लू० 1 ने घटना के दिन अपने पिता का शाम लगभग 06.00 बजे उसकी न्यू मोटरसाइकिल होण्डा ड्रीम न्यू लाल कलर की, जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं मिला था, से ग्राम मंगलापुर के श्यामबिहारी रैदास के घर निमंत्रण में जाने का तथ्य साबित किया है तथा रात 10–11 बजे तक पिता के वापस न आने पर उनकी तलाश किये जाने पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ होना बताया है। ग्राम मंगलापुर के रास्ते पर भरती नाला के पास अपने पिता की दाहिने पैर की चप्पल तथा एक डण्डा छोटे बेंत के समान व बिक्स की डिब्बी तथा जमीन पर रगड़ के निशान देखने की बात साबित की है। उसने शक के आधार पर, जिनके घर जाने के लिए मृतक निकला था, के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने का तथ्य भी साबित किया है। उसने यह भी बताया है कि घटना के लगभग 20–25 दिन बाद ग्राम मंगलापुर के विनोद कुमार व आदित्य कुमार द्वारा उसे बताया गया था कि जिस दिन तुम्हारे पिता गायब हुए थे उस दिन हम लोगों ने अभियुक्त बबलू व सुनील को लगभग सात–आठ बजे रात में कोथावां से मंगलापुर जाने वाले रास्ते पर नहर की पटरी पर तुम्हारे पिता जी की नई मोटरसाइकिल के पास देखा था। पी०डब्लू० 1 की इस बात का समर्थन पी0 डब्लू02 आदित्य कुमार ने अपने साक्ष्य में किया है और कहा है कि "हमने सोचा कि बबलू व सुनील की मोटरसाइकिल खराब हो गयी है। जब

अभियुक्तगण से पूछा तो उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल खराब नहीं हुई है, बल्कि हम शौच के लिए रूके है। यह सुनकर मैं व विनोद मोटरसाइकिल से लखनऊ मजदूरी करने चले गये। 20–25 दिन बाद लौटने पर पता चला कि कोथावां के प्रेमचन्द्र गुप्ता को किसी ने लूटकर उनकी हत्या कर दी है, जिसमें अभियुक्त बबलू व सुनील पकड़े गए हैं। यह सुनकर मैंने प्रेमचन्द गुप्ता के परिवार में घटना के दिन शाम सात–आठ बजे बबलू व सुनील को नई मोटरसाइकिल के साथ नहर की पटरी पर देखे जाने वाली बात बताई थी तब प्रेमचन्द गुप्ता के लड़के मोहन गुप्ता ने कहा कि यह बात पुलिस को बता दो तब मैंने पुलिस को यह बात बता दी थी।" इस प्रकार पी०डब्लू० 2 आदित्य कुमार ने पी०डब्लू० 1 के इस कथन की पुष्टि की है कि घटना की रात करीब सात–आठ बजे आदित्य व विनोद ने नहर की पटरी अर्थात घटनास्थल पर अभियुक्तगण को नई मोटरसाइकिल के साथ देखा था। पी०डब्लू० 3 मनोज कुमार गुप्ता ने दिनांक 29.11.14 को पुलिस द्वारा मौके से बरामद मृतक की चप्पल, लकड़ी का बेंट जिस पर खून लगा था व मृतक की बिक्स की डिब्बी की फर्द तैयार किये जाने का तथ्य साबित किया है। पी०डब्लू० 5 डॉ० मसूद आलम ने दिनांक 01.12.14 को मृतक के शव का परीक्षण किया जाना साबित किया है तथा मृतक की मृत्यु लगभग 2 दिन पहले मृत्यु पूर्व आई चोटों तथा गला कसे जाने की वजह से दम घुटने एवं शाक व हैमरेज से होने के संबंध में अपनी राय दी है। मृतक के सर पर आई हुई चोटे किसी हार्ड एण्ड ब्लंट से तथा गर्दन के चारों तरफ 35 सेमी० लंबा लाइगेचर मार्क पाया जाना कहा है। चूँकि मृतक का शव नहर में पड़े होने का तथ्य पी०डब्लू० 8 योगेन्द्र सिंह ने साबित किया है, इस तथ्य का समर्थन पी०डब्लू० 5 डाक्टर मसूद आलम के साक्ष्य से साबित हो रहा है जिसमें कहा गया है कि मृतक के पेट के अन्दर कोई पानी वगैरा नहीं पाया गया था और शरीर पर मिट्टी व कीचड़ नहीं लगी थी। मृतक को मारकर उसका गला घोंटकर नहर में फेंक देने का तथ्य साक्ष्य में आया है। पी०डब्लू० 8 ने यह भी कहा है कि नहर का पानी तेज नहीं चल रहा था धीमा–धीमा बन्द–सा था। यहाँ यह दृष्टव्य है कि चूंकि मृतक को मारकर नहर में फेंका गया, अतः उसके पेट में पानी न पाए जाने का तथ्य स्वाभाविक है। पी0 डब्लू06 ने मुखबिर की निशानदेही पर अभियुक्तगण को मृतक की मोटरसाइकिल से जाते समय गिरफ्तार किये जाने का साक्ष्य दिया है। दोनों की जेब से 100–125 रूपये मिलने तथा सुनील की जेब से मृतक का मोबाइल फोन बरामद होने का तथ्य भी साबित किया है। अभियुक्तगण द्वारा घटना में प्रयुक्त वसूली/हथौड़ी का लोहा/फल घटनास्थल पर ही गिर जाने का तथ्य बताने पर अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटनास्थल से वसूली का फल बरामद किये जाने का भी साक्ष्य दिया है। यहाँ यह दृष्टव्य है कि वसूली की लकड़ी/बेंटी पूर्व में ही घटनास्थल से बरामद हो गयी थी, जब मृतक की चप्पल व बिक्स की डिब्बी बरामद हुई थी। अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त वसूली का फल/लोहा भी घटनास्थल से बरामद होने का तथ्य पी०डब्लू० 6 ने साबित किया है जो धारा–27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत

ग्राह्य है। उक्त आलाकत्ल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने का तथ्य भी पी०डब्लू० 6 ने साबित किया है। पी०डब्लू० 1 ने अभियुक्तगण के पास से बरामद मृतक की मोटरसाइकिल को न्यायालय से अपने पक्ष में रिलीज करवाया जाना साबित किया है तथा मोटरसाइकिल को अपने पास होना साक्ष्य में बताया है। पत्रावली पर मृतक की मोटरसइकिल वादी पी०डब्लू० 1 के पक्ष में रिलीज होने के प्रपत्र संलग्न हैं। यद्यपि उक्त मोटरसाइकिल को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है, परन्तु इसका कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन के मामले पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभियुक्तगण से मृतक की मोटरसाइकिल बरामद होने का तथ्य पी०डब्लू० 6 एवं पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य से साबित हो रहा है। घटना के समय जो मोबाइल मृतक के पास था वह अभियुक्तगण के पास से उनकी गिरफ्तारी के समय बरामद हुआ है, जिसमें से मृतक का सिम निकालकर उनके द्वारा अन्य सिम डाल देना पी0 डब्लू06 ने साबित किया है। इस प्रकार पत्रावली पर घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न होने के बावजूद समस्त परिस्थितियां एकमात्र अभियुक्तगण द्वारा ही मृतक को लूट लेने के आशय से उसकी मारपीटकर व गला कसकर मृत्यु कारित किये जाने तथा उसकी मोटरसाइकिल व मोबाइल व रूपये लूट लिये जाने की ओर इंगित कर रही हैं।

33. घटनास्थल से एकत्र की गयी मिट्टी खूनालूदा व सादा, मृतक की एक चप्पल व बिक्स की डिबिया, हथौड़ी/वसूली का फल, लकड़ी का बेट, मृतक का पायजामा, कुर्ता, इनर अपर व लोवर स्वेटर, बनियान अण्डरवियर और कलावा को विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया। परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–17 पत्रावली पर संलग्न है, जिसमें सभी वस्तुओं के बड़े भागों पर रक्त पाये जाना उल्लिखित है। मृतक के कुर्ता व इनर अपर पर मानव रक्त पाया जाना अंकित है तथा शेष वस्तुओं पर रक्त(वियोजित) डिसइन्टीग्रेटेड पाये जाने के कारण मूल निर्धारण न हो सका, तथ्य अंकित है। इस प्रकार घटनास्थल से बरामद लकड़ी के बेट पर व अभियुक्तगण की निशालदेही पर हथौड़ी/वसूली के फल के अतिरिक्त मृतक के वस्त्रों व घटनास्थल से बरामद उसकी चप्पल, बिक्स की डिब्बी व मिट्टी पर रक्त पाये जाने का तथ्य साबित है।

34. अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क रखा गया है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के पास से मृतक का मोबाइल व मोटरसाइकिल बरामद नहीं की गयी, बल्कि मृतक की मोटरसाइकिल शराब के ठेके पर खड़ी थी, जिसे क्राइम ब्रांच वाले थाना पुलिस पर ले गये और पुलिस ने अभियुक्तगण पर उक्त मोटरसाइकिल की बरामदगी फर्जी दिखाकर उन्हें इस मुकदमें में झूठा फसा दिया। यह भी तर्क रखा है कि पी०डब्लू० 1 ने स्वयं क्राइम ब्रांच द्वारा मोटरसइकिल थाने पर लाने का कथन किया है। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि पुलिस के पास अभियुक्तगण को ही फसाये जाने का कोई मोटिव अभियुक्त की ओर से साबित नहीं किया गया है। ऐसा कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है जिससे अभियुक्तगण को ही पुलिस द्वारा फसाये

जाने का तथ्य मानने योग्य हो। पुलिस के साक्षीगण पी०डब्लू० 6 ने क्राइम ब्रांच वालों के साथ दिनांक 02.12.14 को अभियुक्तगण की गिरफ्तारी मृतक की मोटरसाइकिल के साथ किया जाना साबित किया है। फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी मोटरसाइकिल में भी क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ थाना प्रभारी अरुण कुमार मिश्रा व अन्य हमराहियान द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी किये जाने व मोटरसाइकिल की बरामदगी किये जाने का तथ्य अंकित है। पी०डब्लू० 1 ने अपनी जिरह में यह तथ्य अभियुक्तगण की ओर से रखे गए प्रश्नों के जवाब में स्वीकार किया है कि उसकी मोटरसाइकिल क्राइम ब्रांच वाले लेकर आये थे इसका मतलब यह नहीं कि क्राइम ब्रांच वाले शराब के ठेके से मृतक की मोटर साइकिल उठाकर थाने लाये हों, बल्कि क्राइम ब्रांच वाले भी गिरफ्तारी व बरामदगी के समय थाना पुलिस बेनीगंज के साथ पुलिस टीम में मौजूद थे। उसने यह नहीं कहा है कि क्राइम ब्रांच वाले शराब के ठेके से मोटरसइकिल उठाकर लाये थे। ऐसी स्थिति में पी०डब्लू० 1 द्वारा यह कह दिया जाना कि क्राइम ब्रांच वाले उसके पिता की मोटरसाइकिल लाये थे जो कि जिरह में आधे–अधूरे तथ्यों के साथ सुझाव रखने में कहा गया है, से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी मृतक की मोटरसाइकिल के साथ संदिग्ध है।

35. यद्यपि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी पत्रावली पर नहीं है फिर भी पत्रावली पर प्रस्तुत समक्ष साक्ष्य से सभी परिस्थितियां अभियुक्तगण द्वारा ही आरोपित अपराध कारित करने की ओर से इंगित कर रही है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होना पाया जाता है। अभियुक्तगण बबलू व सुनील कुमार अन्तर्गत धारा 302/34, 394, 411, 201 में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण बबलू व सुनील कुमार को धारा– 302/34, 394, 411, 201 भा०दं०सं० के आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर न्यायालय में उपस्थित हैं। उनके जमानतनामे व बन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

36. पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु दिनांक 13.04.2026 को पेश हो। अभियुक्तगण जिला कारागार से तलब हो।

दिनांक–10.04.2026

(कुसुम लता)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–1, हरदोई।

<u>दिनांक 13.04.2026</u>

37. पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु पेश हुई।

38. दोषसिद्धगण बबलू व सुनील कुमार जेल से उपस्थित है।

39. दोषसिद्धगण बबलू व सुनील कुमार के विद्वान अधिवक्तागण तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह कहा गया कि दोषसिद्धगण द्वारा किया गया प्रथम अपराध है। दोषसिद्धगण बबलू व सुनील कुमार की आयु 33–31 वर्ष हैं तथा उनका परिवार उन पर ही आश्रित है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अभियुक्तगण बहुत गरीब व्यक्ति हैं। दोषसिद्धगण का पूर्व आपराधिक इतिहास अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः दोषसिद्धगण को न्यूनतम सजा से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी है।

40. जबकि राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क दिया गया कि दोषसिद्धगण द्वारा वादी मुकदमा के पिता, जो दूसरे गांव किसी के घर निमंत्रण में अपनी नयी मोटरसाइकिल से गये थे, उन्हें लूटने के इरादे से उनके सर पर वसूली प्रहार कर चोट पहुँचायी तथा उनके गमछे से गला कसकर हत्या कारित कर दी। उनकी नई मोटरसाइकिल जिस पर रजिस्ट्रेशन नम्बर भी नहीं पड़ा था, को लूट ले गये। अभियुक्तगण के पास से मृतक की मोटरसाइकिल व मोबाइल व कुछ रूपये बरामद हुए तथा उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त वसूली का फल भी बरामद हुआ। दोषसिद्धगण ने मृतक को लूटने के आशय से उसकी हत्या कारित कर दी और उसके रूपये मोबाइल व मोटरसाइकिल लूटकर ले गये तथा लाश को छुपाने के इरादे से नहर में डाल दिया। दोषसिद्धगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है एवं समाज के विरुद्ध है। अतः दोषसिद्धगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

41. **सुमेर सिंह बनाम सूरज भान सिंह एवं अन्य 2014 (88) ए०सी०सी० 325 एस०सी०** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि दण्ड अभिनिर्णीत करने का प्रश्न विवेकाधिकार का मामला है। जिसका प्रयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर विचार करके किया जायेगा। विधि द्वारा स्थापित है कि दण्ड की मात्रा अपराध की गंभीरता के समानुपात में होना चाहिए।

42. पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया। पत्रावली के सम्यक् परिशीलन से यह तथ्य स्थापित है कि दोषसिद्धगण बबलू व सुनील कुमार को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। यहॉ पर यह उल्लेखनीय है कि मृत्यु दण्ड की सजा के सम्बंध में यह स्थापित सिद्धान्त है कि दुर्लभ से दुर्लभतम मामलो में ही दी जानी चाहिए। **अजय पण्डित उर्फ जगदीश दयाभाई पटेल बनाम महाराष्ट्र, 17 जुलाई, 2012 आपराधिक अपील संख्या–864/2006** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि मृत्यु दण्ड एक नियम के बजाय एक अपवाद है

और इसका उपयोग केवल दुर्लभतम मामलो में ही किया जाना चाहिए। न्यायालय का कर्तव्य एवं दायित्व है कि प्रासंगिक तथ्यों को उजागर करें।

43. दोषसिद्धगण द्वारा वादी मुकदमा के पिता को लूटने के इरादे से वसूली से सिर में चोट पहुँचाकर तथा गला कसकर हत्या कारित करने का तथा मृतक की मोटरसाइकिल व रूपये एवं मोबाइल लूटकर ले जाने का तथ्य साक्ष्य से साबित हुआ है। अभियुक्तगण के पास से मृतक की मोटरसाइकिल व मोबाइल बरामद होने का तथ्य भी साक्ष्य से साबित हुआ है। मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा प्रकरण में कारित हुये अपराध की गंभीरता, मृतक तथा दोषसिद्ध की आयु, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति, अपराध की प्रकृति, हत्या करने का तरीका, हत्या में प्रयुक्त हथियारों, अपराध करने का तरीका तथा अपराध की परिस्थितियों एवं कारित अपराध का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव एवं दोषसिद्धगण तथा मृतक की सामाजिक दशा, सामाजिक हित, लोक हित साथ ही मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा प्रकरण में कारित हुये अपराध की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में यह मामला विरल से विरलतम मामलों की श्रेणी में नहीं आ रहा है। अतः अभियुक्तगण को निम्न दण्ड दिये जाने से न्याय की मंशा की तुष्टि हो सकेगी। दोषसिद्धगण निम्न दण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है।

–:दण्डादेश:–

I. दोषसिद्धगण बबलू व सुनील कुमार को धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन वर्णित दण्डनीय अपराध के अभियोग में आजीवन कारावास एवं प्रत्येक दोषसिद्ध को मु० 10,000–10,000/– (दस–दस हजार) रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियोग में अधिरोपित किये गये अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर प्रत्येक दोषसिद्ध को दो–दो (02–02) वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

II. दोषसिद्धगण बबलू व सुनील कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–394 के अधीन वर्णित दण्डनीय अपराध के अभियोग में सात–सात (07– 07) वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु० 5,000–5,000/– (पांच–पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अधिरोपित अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर प्रत्येक दोषसिद्ध को तीन–तीन (03–03) माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।

III. दोषसिद्धगण बबलू व सुनील कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–411 के अधीन वर्णित दण्डनीय अपराध के अभियोग में दो–दो (02– 02) वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु० 1,000–1,000/– (एक–एक हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अधिरोपित अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर प्रत्येक दोषसिद्ध को एक–एक (01–01) माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना

होगी।

IV. दोषसिद्धगण बबलू व सुनील कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–201 के अधीन वर्णित दण्डनीय अपराध के अभियोग में पाँच–पाँच (05– 05) वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु० 1,000–1,000/– (एक–एक हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अधिरोपित अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर प्रत्येक दोषसिद्ध को एक–एक (01–01) माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।

V. दोषसिद्धगण का दोषसिद्धि वारण्ट नियमानुसार तैयार करके सजा भुगतने के लिए जिला कारागार, हरदोई भेजा जाये।

VI. धारा–428 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दोषसिद्धगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मामले में जेल में बितायी गयी अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाये।

VII. उपरोक्त सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

VIII. धारा–363 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दोषसिद्धगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क तुरन्त प्रदान की जाये।

IX. धारा-365 दं०प्र०सं० के प्रावधानानों के अनुसार निर्णय एवं दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई व जिला कारागार, हरदोई को प्रेषित की जाये।

दिनांक–13.04.2026

(कुसुम लता)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–1, हरदोई।

X. आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–13.04.2026

(कुसुम लता)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–1, हरदोई।